तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/11/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश दि. 23/12/25 को पेश हो।	
23/12/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। प्रस्तुत प्रा०पत्र u/s 212 RT Act के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण को adjudicate करने के लिये प्रा०पत्र को निम्न 03 बिन्दुओं पर जांचना आवश्यक है -(i) <u>प्रकरण प्रथम दृष्टया</u> :- प्रार्थी० प्रार्थीगण का कथन है कि ग्राम पड़ियारखेड़ी हल्का कोटड़ी की वादग्रस्त आराजी ख०नं० 387 रकबा 18 बिस्वा में से 06 बिस्वा एवं ख०नं० 304 रकबा 5-01 बीघा ~~केवल~~ कुल कित्ता 2 कुल रकबा 5-07 बीघा भूमि प्रार्थी नं० 2 के पति तंवरसिंह वल्द भंवरसिंह द्वारा तत्कालीन खातेदार नाथूसिंह वल्द श्री दातारसिंह से जरिये रजिस्ट्री दिनांक 19/4/1974 क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था लेकिन क्रेता तंवरसिंह [illegible] में नामान्तरण दर्ज हुआ [illegible] क्रेता तंवरसिंह [illegible] विक्रेता नाथूसिंह दोनों ही फौत हो गये जिससे सम्बन्धित कार्मिकों ने नामान्तरण नहीं खोला। प्रार्थीगण, क्रेता तंवरसिंह	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:23:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

के legal heirs है। खातेदार नाथूसिंह के बाद यह भूमि छत्रसिंह के खाते और छत्रसिंह के फौत होने पर बनेसिंह के खाते दर्ज हुई थी। बनेसिंह के फौत होने के बाद यह अप्रार्थीगण के नामान्तरण से दर्ज हुई है। अतः वर्ष रजिस्ट्री वादग्रस्त आराजी का title प्रार्थीगण के पक्ष में और कब्जाकाश्त भी प्रार्थीगण का है। प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण है।

बहस प्रा०पत्र के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम पैडियारखेड़ी तहसील पिड़ावा की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत 2029-32 के अनुसार ख०न० 304 रकबा 5-01 बीघा एवं ख०न० 387 रकबा 0-18 बीघा भूमि छत्रसिंह वल्द भवानीसिंह व नाथूसिंह वल्द दातारसिंह जाति राजपूत की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। अर्थात दोनों सहखातेदारों का 1/2-1/2 हिस्सा दर्ज था। प्रार्थीगण द्वारा पेश रजि० विक्रय पत्र दिनांक 19/4/1974 के अवलोकन से जाहिर है कि सहखातेदार नाथूसिंह ने ख० न० 387 रकबा 18 बिस्वा में से 06 बिस्वा एवं ख०न० 304 रकबा 05-01 बीघा सम्पूर्ण कुल किता 02 कुल रकबा 5-07 बीघा का बेचान रजिस्ट्री से तंवरसिंह पिता चन्दरसिंह को की थी जिसका नामा० स० 93 दिनांक 01/12/1978 ~~से~~ (सम्पूर्ण हिस्से के बेचान के कारण) खारिज कर [illegible] की सहखातेदार ने बेचान [illegible] लेकिन ख० न० 304 में [illegible] ही बेचान (कब्जेकाश्त के आधार पर) करने से नामान्तरण खारिज हो गया था। उक्त रजि०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:23:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त[...] अहकाम [...] हुक्म की त[...] में जारी

विक्रयपत्र को सक्षम सिविल न्यायालय से खारिज किये जाने का भी कोई साक्ष्य पेश नहीं है। गडग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत 2046-49 में विक्रेता सहखातेदार नाथूसिंह हिस्सा 1/2 दर्ज है लेकिन अगली चौसाला जमाबंदी संवत 2050-53 में बिना किसी आधार से सहखातेदार नाथूसिंह वल्द दातारसिंह का नाम हटा कर सम्पूर्ण हिस्सा छत्रसिंह के वारिसान के खाते दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। यह कैसे दर्ज हुआ — इसका कोई साक्ष्य प्रार्थीगण ने पेश नहीं किया है। यह राजस्व कार्मिकों द्वारा की गई गंभीर त्रुटि प्रतीत होती है। अतः प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या टाईटल एवं कब्जा प्रतीत होने से प्रकरण प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

(ब) सुविधा संतुलन :- प्रकरण प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के पक्ष में है। शपथपत्र एवं विक्रयपत्रानुसार के आधार पर कब्जा (क्रयशुदा भाग पर) भी प्रार्थीगण का जाहिर होता है। अतः यदि अप्रार्थीगण उक्त भूमि का बंटवारा कर खुर्द बुर्द करते हैं तो प्रार्थीगण को कानूनी अधिकारों एवं शांतिपूर्ण लम्बे कब्जेकाश्त से भी बेदखल होना पड़ेगा। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

(स) अपूरणीय क्षति :- [illegible] में क्रयशुदा भाग तक प्रार्थी[illegible] क्षति कारित होना जाहिर होती है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:23:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	2. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र u/s 212 RT Act r.w.O 39 R1&2 CPC स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ता फैसला मूलवाद इस आशय कि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम पाडियारखेडी तहसील पिडावा की वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। कोई अन्तरण नहीं करें। SRO पिडावा भी पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2026.02.26 11:23:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner